an>

Title: Need to cover employees appointed before 1.1.2004 in Jawahar Navodaya Vidyalaya under CCS Pension Rules, 1972.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि 1/1/2004 से पहले शामिल हुए कई संस्थानों को सीसीए पेंशन मंज़ूरी दी गई जबकि नवोदय स्कूल समिति के कार्मिको की पेंशन फ़ाइल को कट ऑफ डेट 1/1/1986 व गैर उत्पादक संस्थान के कारण लंबित रख दिया जबकि उक्त कार्मिको की अमूल्य सेवा व योग्यता को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने एनवीएस कार्मिको को सीसीए पेंशन स्वीकृत करने के पक्ष मे 2 बार कैबिनेट नोट स्थानातिरत किया परन्तु दुर्भाग्य से वित मंत्रालय ने कट ऑफ डेट के कारण मना कर दिया चूँकि नवोदय स्कूल ग्रामीण प्रतिभाओ को गुणवतापूर्वक शिक्षा प्रदान करता है ऐसे मे यह कोई फंड नही बना सके और इनकी बनाई गई बौद्धिक संपदा अमूल्य है । अतः जवाहर नवोदय विद्यालय में दिनाक 1/1/2004 से पहले सेवा मे आए कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन) नियमावली) 1972 मे शामिल किया जाए ।